

भारत रङ्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश



-: सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना 2023-24:-

प्रादेशिक मुख्यालय : गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

E mail :upsoutsguides@yahoo.com

Contact No. 0522-4323838

Website : www.bsgup.org



भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

फोन : 0522-4323838
9839392275

प्रादेशिक प्रशान्त कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ - 226006

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org

रजिस्ट्रेशन संख्या एम० 1-9407/1959-1960

मुख्य संस्थक

माननीय श्री राज्यपाल

उ० प्र०

उप मुख्य संस्थक

माननीय मुख्यमंत्री

उ० प्र०

अध्यक्ष

डॉ महेन्द्र सिंह

पूर्ण पक्षी - जल शक्ति
उ० प्र०

मुख्यायुक्त

डॉ प्रभात कुमार

आईएएस (सैनि)
पूर्ण अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या - संगे० ६०/१९६५ / २०२३-२४

दिनांक २९-८-२३

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

विषय :—सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना वर्ष 2023-24 हेतु आवेदन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विगत वर्ष की भौति इस वर्ष भी भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० के अंतर्गत सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। भारत स्काउट और गाइड जनपद संस्था के अध्यक्ष होने के कारण जिलाधिकारी के लिए भी पृथक से पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं।

योजना की विस्तृत निर्देशिका तथा आवेदन का प्रारूप इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस संबंध में जनपद के पदाधिकारियों को योजना में दी गई गाइड लाइन्स के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि योजना मैं मूल्यांकन १ अप्रैल, 2023 से ३१ मार्च, 2024 की उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि ३० जून, 2024 होगी।

संलग्नक :—उक्तवत्

भवदीय,

(डॉ प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि :— समस्त जिला मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र०।

४.
(डॉ प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त



[bsgup](http://bsgup.org)



[@twitter.com/bsgup](https://twitter.com/bsgup)



facebook.com/bsgup.org



instagram.com/bsgup/



सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना- नियमावली

प्रस्तावना:—प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना विगत वर्षों से प्रचलित है जिसमें सभी राजस्व जनपदों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:—श्रेणी "ए" में 35 जनपद तथा श्रेणी बी में 40 जनपद रखे गये हैं (सूची संलग्न है)।

उद्देश्यःयोजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है :-

1. जनपदों द्वारा स्काउट/गाइड के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के प्रोत्साहन देना।
2. युवा वर्ग में स्काउट/गाइड के सिद्धान्तों के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए जनपद स्तर पर बढ़ावा देना।
3. जनपद स्तर पर स्काउट/गाइड से जुड़े पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करना।

नियमावली व आवश्यक निर्देश निम्नवत् हैः—

1. 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक किए गए कार्यों की आख्या जनपद द्वारा 30 जून 2024 तक सर्वोत्तम जनपद योजना हेतु मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जायेगी।
2. चयनित जनपद एवं जनपद के पदाधिकारियों को वर्ष 2024 में प्रादेशिक परिषद/स्थापना दिवस/अन्य विशिष्ट अवसर के अवसर पर पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा।
3. सर्वोत्तम जनपद योजना में जनपदों का पृथक—पृथक मूल्यांकन उनकी श्रेणी में किया जायेगा।
4. सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि जिला संस्था को एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जिला मुख्यायुक्त, जिला कमिशनर (स्काउट/गाइड), जिला सचिव, जिला संगठन कमिशनर (स्काउट/गाइड) एवं, जिला प्रशिक्षण कमिशनर (स्काउट/गाइड) को जिलाधिकारी (जिला अध्यक्ष) द्वारा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जायेगी। योजना में पुरस्कृत जनपदों के जिलाधिकारियों को पुरस्कार धनराशि देकर सम्मानित किया जायेगा।

पुरस्कार धनराशि का विवरण :-

"ए" श्रेणी

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि		
	जनपद	जिलाधिकारी	संबंधित ए0एस0ओ0सी0
प्रथम	1,00000	25,000	10,000
द्वितीय	75,000	20,000	7,000
तृतीय	50,000	15,000	5,000

"बी" श्रेणी

पुरस्कार	पुरस्कार धनराशि		
	जनपद	जिलाधिकारी	संबंधित ए0एस0ओ0सी0
प्रथम	80,000	20,000	8,000
द्वितीय	60,000	15,000	5,000
तृतीय	40,000	10,000	3,000

नोट— यदि एक ही मण्डल क्षेत्र से एक से ज्यादा जनपद पुरस्कार के मानक में आते हैं तो भी मण्डल के ए0एस0ओ0सी0 को एक ही पुरस्कार दिया जाएगा।

5—प्रदेश स्तर पर सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में प्रतिभागिता हेतु जनपदों का चयन एक समिति के माध्यम से किया जायेगा जिसका गठन प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा किया जायेगा।

6—चयन करने का आधार एंव स्वमूल्यांकन प्रक्रिया :— प्रत्येक जनपद का निम्नांकित 18 बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा योजना के अनुरूप कुल 120 अंकों में से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रथम तीन जनपदों का चयन दोनों श्रेणियों में पृथक—पृथक किया जायेगा।

बिन्दु	अंक
1 नवीन पंजीकृत दल (अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
2 नवीनीकृत दल (अनुदानित बेसिक विद्यालयों के दलों को छोड़कर)	10
3 10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान	10
4 अवशेषों के वसूली की स्थिति	10
5 बी०ए०/डी०ए०ए० महाविद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	10
6 वयस्क प्रशिक्षण बिगनर कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स	10
7 एच०डब्लू०बी०/प्री०ए०ए०टी०/ए०ए०टी० तैयार करने पर	08
8 बेवसाइड अपडेशन और ओ०वाई०.ए०स० अपडेशन	08
9 राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/रावेर/रेजर की संख्या	05
10 राष्ट्रीय स्तर अवार्ड (पी०ए०शील्ड, लक्ष्मी मजूमदार, उपराष्ट्रपति अवार्ड) में प्रतिभागिता	05
11 प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता	05
12 एक जनपद एक कार्यक्रम में उपलब्धि	05
13 बी०ए०जी० प्रतियोगिता में प्रतिभागिता	05
14 सर्वोत्तम कैडेट रैली	05
15 चीफ कमिशनर फैलोशिप	05
16 जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन तथा सम्परीक्षण	04
17 जिला संगठन (परिषद, कार्यकारिणी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी (नियुक्ति एवं बैठक)	03
18 तेजल पत्रिका मे जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन	02
कुल अंक	120

मूल्यांकन प्रक्रिया—मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

बिन्दु-1—नवीन पंजीकृत दल (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर)— प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माध्यमिक/शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय राजकीय विद्यालय, महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2022–23 में पंजीकृत कराए गये मुख्यालय द्वारा दिए गये संलग्न लक्ष्य के आधार पर नए दलों की संख्या पर कुल 10 अंकों का निर्धारण निम्नप्रकार होगा :—

(अ) जनपद द्वारा माध्यमिक/शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय राजकीय विद्यालय, महाविद्यालयोंमें प्रस्तुत पंजीकृत नवीन दलों के विवरण पर कुल 10 अंक का निर्धारण निम्न प्रकार होगा :—

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 100 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर | —05 अंक |
| 90 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर | —4 1/2 अंक |
| 80 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर | —04 अंक |

70 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-31/2 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-03 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-21/2 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-02 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल होने पर	-शून्य अंक

(ब) सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों में जनपदवार विद्यालयों की संख्या के सापेक्ष युनिट पंजीकृत कराये जाने पर कुल 05 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा (प्रत्येक जनपद का लक्ष्य है वहां स्थित सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों की संख्या के बराबर होगा जो किसी भी दशा में 20 दलों से कम नहीं होगा) :-

100 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-05 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-4 1/2 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-04 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-3 1/2 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-03 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-21/2 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दल होने पर	-02 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दल होने पर	-शून्य अंक

बिन्दु-2 -नवीनीकृत दल (अनुदानित बेसिक दलों को छोड़कर)— प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपद में पंजीकृत दलों के सापेक्ष जनपद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण कराने पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

जनपद द्वारा पंजीकृत दलों के सापेक्ष नवीनीकरण कराने पर अंक का निर्धारण:-—(मूल्यांकन हेतु ए श्रेणी में कम से कम 100 दलों का तथा बी श्रेणी में कम से कम 60 दलों का नवीनीकरण होना अनिवार्य है)

100 प्रतिशत पंजीकृत दलनवीनीकृत होने पर	-10 अंक
90 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-09 अंक
80 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-08 अंक
70 प्रतिशत पंजीकृत दलनवीनीकृत होने पर	-07 अंक
60 प्रतिशत पंजीकृत दलनवीनीकृत होने पर	-06 अंक
50 प्रतिशत पंजीकृत दल नवीनीकृत होने पर	-05 अंक
40 प्रतिशत पंजीकृत दलनवीनीकृत होने पर	-04 अंक
40 प्रतिशत से कम पंजीकृत दलनवीनीकृत होने पर	-शून्य अंक

बिन्दु-3-10 प्रतिशत स्काउट/गाइड अंशदान—वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जनपदों को 10 प्रतिशत अंशदान में दिये गये लक्ष्य के अनुक्रम में मुख्यालय को प्राप्त धनराशि के आधार पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

100 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-10 अंक
90 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-09 अंक
80 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-08 अंक
70 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-07 अंक
60 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-06 अंक
50 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-05 अंक
40 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-04 अंक
30 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-03 अंक
20 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-02 अंक
20 प्रतिशत अंशदान राशि जमा होने पर	-शून्य अंक

बिन्दु-04-अवशेषों के वसूली की स्थिति :—प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को प्रादेशिक मुख्यालय के नवीनीकरण/सम्बद्धता शुल्क/अंशदान के अवशेषों की सूचना प्रेषित की गई है।

जिला संस्था द्वारा अवशेषों के सम्बन्ध में प्रादेशिक मुख्यालय को धनराशि प्रेषित किये जाने पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा:-

100 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 10 अंक
90 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 09 अंक
80 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 08 अंक
70 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 07 अंक
60 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 06 अंक
50 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 05 अंक
40 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 04 अंक
30 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 03 अंक
20 प्रतिशत अवशेष धनराशि जमा करने पर	— 02 अंक
20 प्रतिशत से कम अवशेष धनराशि जमा करने पर	— शून्यअंक

बिन्दु-05 —बी0एड0 तथा डी0एल0एड0 शिविर आयोजित करने पर :- प्रत्येक जनपद का लक्ष्य जनपद में कुल महाविद्यालय / संस्थानों की संख्या के बराबर होगा।

100 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	— 10 अंक
90 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	— 09 अंक
80 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	— 08 अंक
70 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	— 07 अंक
60 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	— 06 अंक
50 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	— 05 अंक
40 प्रतिशत प्रशिक्षण कराए जाने पर	— 04 अंक
40 प्रतिशत से कम होने पर	— 00 अंक

बिन्दु-06—वयस्क प्रशिक्षण बिगनर कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स—प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद द्वारा निम्नवत् प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभागिता के आधार पर कुल 10 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

(ए) बिगिनर्स कोर्स—

जनपद स्तर पर बिगिनर्स कोर्स के आयोजन में 300 की प्रतिभागिता होने पर — 2 अंक

(बी) बेसिक कोर्स—

जनपद स्तर पर सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन करने पर निम्नवत् संख्या में यूनिट लीडर की प्रतिभागिता पर कुल 2 अंकों का निर्धारण निम्नवत् है:-

प्रतिभागी कब मास्टर सं0— 30 होने पर	—1/3 अंक
प्रतिभागी फ्लाक लीडर सं0— 30 होने पर	—1/3 अंक
प्रतिभागी स्काउट मास्टर सं0— 40 होने पर	—1/3 अंक
प्रतिभागी गाइड कैप्टन सं0— 40 होने पर	—1/3 अंक
प्रतिभागी रोवर लीडर सं0— 30 होने पर	—1/3 अंक
प्रतिभागी रेंजर लीडर सं0— 30 होने पर	—1/3 अंक

(सी) विशेषज्ञता कोर्स—जनपद स्तर पर स्कीम आफ ट्रेनिंग के आधार पर निर्धारित 4 विषयों से संबंधित कोर्स आयोजन में प्रति कोर्स 50 की संख्या या कुल चारों कोर्स में 50 की संख्या में प्रतिभागिता होने पर कुल 2 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं0— 50 होने पर	—1/2 अंक
प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं0— 50 होने पर	—1/2 अंक
प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं0— 50 होने पर	—1/2 अंक
प्रत्येक विषय से संबंधित कोर्स प्रतिभागी सं0— 50 होने पर	—1/2 अंक

बिन्दु-07—एडवांस/एच0डब्लूबी0/प्री0एल0टी0/ए0एल0टी0/एल0टी0 तैयार करने पर—जनपद स्तर पर 1:2 (एक अनुपात दो) के अनुपात में यूनिट लीडर तैयार करने पर अर्थात् एक हिमालय उडबैज

तैयार होने पर सम्बन्धित को 2 एडवांस लीडर तैयार करने हैं। इसी प्रकार 1 प्री0ए0एल0टी0 और 1 ए0एल0टी0 तैयार होने पर सम्बन्धित ट्रेनर को कमशः 2 हिमालय उडबैज और 2 प्री0ए0एल0टी0 तैयार करने की स्थिति में कुल 10 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

	बडे जनपद	छोटे जनपद	अंक
एडवांस युनिट लीडर	32	16	1.5
हिमालय उडबैज	16	08	1.5
प्री0ए0एल0टी0	08	04.	2.0
ए0एल0टी0	04	02	1.5
एल0 टी0	02	01	1.5

बिन्दु-08—वेबसाइट अपडेशन और ओ0वाई0.एम0एस0 अपडेशन/यू0आई0डी0 अपडेशन—वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्थाओं को वेबसाइट अपडेशन और ओ0वाई0.एम0एस0 अपडेशन के सुचारू रूप से जनपदों में संचालित किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उसी कम में कुल 08 अंकों में से अनुपालन की स्थिति में अंको का निर्धारण निम्नवत् होगा :—

- (I) OYMSके अनुसार जनपदों द्वारा दलों का आन लाइन कराना – 04 अंक (इनका मूल्यांकन निम्नप्रकार होगा)
 - ओ0वाई0एम0एस0 के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 100 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर—04अंक
 - ओ0वाई0एम0एस0 के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 50 प्रतिशत आनलाइन कराये जाने पर—02 अंक
 - ओ0वाई0एम0एस0 के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 25 प्रतिशत आनलाइन कराये जानेपर —01 अंक
 - ओ0वाई0एम0एस0 के अनुसार जनपदों द्वारा दलों को 25 प्रतिशत से कम आनलाइन कराये जाने —शून्य अंक
- (II) जनपद स्तर पर वेबसाइट लागू कराये जाने पर (मुख्यालय के वेबपेज पर) तथा उसके अपडेशन पर —02 अंक
- (III) जनपद स्तर पर बी0एस0जी0 यू0पी0 सॉफ्टवेयर पर कार्य करने पर—02 अंक

बिन्दु-09—राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर की संख्या—वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा राज्य पुरस्कार (स्काउट / गाइड) / (रोवर / रेंजर) तैयार कराये जाने पर प्रतिभागिता एवं संख्या के आधार पर कुल 5 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

	बडे जनपद	छोटे जनपद	अंक
राज्य पुरस्कार स्काउट तैयार करने पर (संख्या)	50	30	— 1½ अंक
राज्य पुरस्कार गाइड तैयार करने पर (संख्या)	50	30	— 1½ अंक
राज्य पुरस्कार रोवर तैयार करने पर (संख्या)	30	15	— 01 अंक
राज्य पुरस्कार रेंजर तैयार करने पर (संख्या)	30	15	— 01 अंक

बिन्दु-10—राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड (पी0एम0शील्ड, लक्ष्मी मजूमदार, उपराष्ट्रपति अवार्ड) में प्रतिभागिता—वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश द्वारा निर्धारित तिथि पर पी0एम0 शील्ड, लक्ष्मी मजूमदार, उपराष्ट्रपति अवार्ड में प्रतिभागिता के लिए पंजीकरण कराने पर कुल 5 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

ए—पी0एम0 शील्ड प्रतियोगिता हेतु स्काउट विंग से 6 आवेदन पंजीकृत कराने पर — 01 अंक
 बी—पी0एम0 शील्ड प्रतियोगिता हेतु गाइड विंग से 6 आवेदन पंजीकृत कराने पर — 01 अंक
 सी—उपराष्ट्रपति अवार्ड में प्रतियोगिता हेतु रोवर विंग से 4 आवेदन पंजीकृत करा ने पर — 01 अंक
 डी—उपराष्ट्रपति अवार्ड में प्रतियोगिता हेतु रेंजर विंग से 4 आवेदन पंजीकृत कराने पर — 01 अंक
 ई—लक्ष्मी मजूमदार अवार्ड में प्रतियोगिता हेतु स्काउट / गाइड, रोवर / रेंजर, विंगमें

चार आवेदन पंजीकृत कराने पर — 01 अंक

बिन्दु-11 —प्रादेशिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता :—वित्तीय वर्ष 2022–23 में संगठन व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता कराये जाने पर कुल 5 अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा :—

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- (ए)—री—ओरिएन्टेशन / री—यूनियन में प्रतिभागिता होने पर — 01 अंक
- (बी)—संगोष्ठी / कार्यशाला में प्रतिभागिता होने पर — 01 अंक
- (सी)—आफिसर्स कोर्स में प्रतिभागिता होने पर (सचिव / कमिशनर्स को छोड़कर) — 01 अंक

संगठन कार्यक्रम

- (ए) डी०ओ०सी० वर्कशॉप / यूनिट लीडर संगोष्ठी में प्रतिभागिता होने पर — 01 अंक
 (बी) बाय / गर्ल कार्यक्रमों में (तृतीय सोपान / निपुण) प्रतिभागिता होने पर — 01 अंक

बिन्दु-12—एक जनपद एक कार्यक्रम :-

- (क) समयान्तर्गत परियोजना उपलब्ध कराने पर — 1 अंक
 (ख) परियोजना स्वीकृत होने पर — 1 अंक
 (ग) परियोजना को निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण करने पर — 2 अंक
 (घ) परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन — 1 अंक

बिन्दु-13—बी०एस०जी० ज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभागिता:- प्रतियोगिता हेतु पंजिकरण कराये जाने पर कुल 05 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार होगा

- 1—मुख्यालय द्वारा दिये गये लक्ष्य के बराबर या अधिक पंजीकरण कराये जाने पर — 03 अंक
 2—समयानुसार परीक्षा कराए जाने पर — 01 अंक
 3—समयानुसार जनपद के प्रत्येक श्रेणी में पृथक—पृथक तीन प्रतिभगियों की सूची उपलब्ध कराने पर — 01 अंक

बिन्दु-14—सर्वोत्तम कैडेट रैली — प्रतियोगिता हेतु पंजिकरण कराये जाने पर कुल 05 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार होगा

- 1—मुख्यालय द्वारा दिये गये लक्ष्य के बराबर या अधिक पंजीकरण कराये जाने पर — 03 अंक
 2—समयानुसार चयन प्रतियोगिता करने पर — 01 अंक
 3—समयानुसार जनपद के प्रत्येक श्रेणी में पृथक—पृथक दो प्रतिभगियों की सूची उपलब्ध कराने पर — 01 अंक

बिन्दु-15.— चीफ कमिशनर फैलोशिप— मूल्यांकन का निम्नवत आधार होगा :-

- (क) समयान्तर्गत परियोजना उपलब्ध कराने पर — 1 अंक
 (ख) परियोजना स्वीकृत होने पर — 1 अंक
 (ग) परियोजना को निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण करने पर — 2 अंक
 (घ) परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन — 1 अंक

बिन्दु-16—जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन एवं सम्परीक्षण—प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा जिला संस्था को वित्तीय प्रशासन के दिशा निर्देश प्रादेशिक मुख्यालय के पत्र सं० सी०जी०—९४ / २०२०—२१ दिनांक 24. ०९.२०२० द्वारा प्रेषित किये गये है। जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिला संस्था द्वारा वित्तीय प्रशासन की व्यवस्था के अनुपालन पर कुल 4 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

ए—जिला संस्था द्वारा नियमित आडिट कराने तथा वित्तीय वर्ष की प्रादेशिक मुख्यालय को आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर— 02अंक

बी—जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन कराये जाने पर —01अंक
 सी—वित्तीय अभिलेखों का नियमानुसार (कैश बुक, लेजर, रसीद बुक, गार्ड फाईल) रख रखाव किये जाने पर —01अंक

बिन्दु-17—जिला संगठन (परिषद, कार्यकारिणी, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति एवं बैठक) —जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति कराये जाने पर जिला संस्था के कार्यालय व अभिलेखों को व्यवस्थित किये जाने पर कुल 03 अंको का निर्धारण इस प्रकार होगा :-

ए—जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियुक्ति होने पर — 01 अंक

बी—जिला संस्था के अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव होने पर — 01 अंक
 (स्टोक रजिस्टर, प्रशिक्षण पंजिका, कार्यव्रत पंजिका)

सी— परिषद एवं कार्यकारिणी तथा अन्य समितीयों की समयान्तर्गत बैठक — 01 अंक

बिन्दु-18— तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन — मूल्यांकन निम्नवत आधार पर किया जायेगा—

- (1) वर्ष भर के सभी चारों अंको में जिले की गतिविधियों का प्रकाशन —02 अंक
 (2) दो से तीन अंको में जिले की गतिविधियों का प्रकाशन —11/2 अंक

- (3) दो अंको में जिले की गतिविधियों का प्रकाशन
(4) दो से कम अंको में गतिविधियों का प्रकाशन


- 1 अंक
- 1 / 2 अंक

नोट— निर्धारित आवेदन प्रपत्र मे दिए गए आंकड़ो / कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य लगाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव मे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है :-

स्मरणीय बिन्दु निम्नवत है:-

- 1—योजना के अन्तर्गत क्वालीफाई करने एवं अर्ह होने के लिए 120 अंको में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 60 अंक से कम अंक प्राप्त करने पर जनपद पुरस्कार प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा ।
2—सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना में समस्त अधिकार प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होंगे तथा प्रादेशिक मुख्यायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
3—उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त अधिक प्रतिस्पर्धा होने की स्थिति सांत्वना पुरस्कार देने का निर्णय प्रादेशिक मुख्यायुक्त में निहित होगा।





भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक मुख्यालय : महानगर, लखनऊ

सर्वोत्तम जनपद पुरस्कार योजना- प्रारूप

जनपद:

जनपद सम्बद्धता क्रमांक :

विषय 01 – यूनिट पंजीकरण

- जनपद में स्थित अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित राजकीय विद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित राजकीय महाविद्यालयों की संख्या :
- जनपद में स्थित बेसिक विद्यालयों की संख्या :
- वित्तीय वर्ष से पूर्व जनपद में कुल पंजीकृत यूनिट्स की संख्या :

जनपद में वित्तीय वर्ष में नवीन पंजीकृत यूनिट्स की संख्या (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) निम्नानुसार

कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर	कुल

✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य :

- 1 सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों के लिए
 - 2 सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों से जनपद के पृथक विद्यालयों के लिए
- ✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत : 1
2

विषय 02 – यूनिट नवीनीकरण

1. जनपद में वित्तीय वर्ष में नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या (बेसिक अनुदानित को छोड़कर) :

विवरण	कब	बुलबुल	स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर	कुल
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणनाप्रपत्रके अनुसार यूनिट्स की संख्या							
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत जनगणनाप्रपत्रके सापेक्ष नवीनीकृत यूनिट्स की संख्या							

- ✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य :
- ✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :

विषय 03 – 10 प्रतिशत अंशदान

1. वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत अंशदान का विवरण

विवरण	धनराशि
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसार 10% अंशदानकी धनराशि	
प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रकेसापेक्षजमाकी गई धनराशि	

- ✓ प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा दिया गया लक्ष्य :
- ✓ जनपद द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धि का प्रतिशत :

विषय 4– अवशेषों के वसूली की स्थिति :-

- वित्तीय वर्ष में प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रेषित नवीनीकरण / सम्बद्धता शुल्क / अंशदान के अवशेषों की स्थिति

क्रम०सं०	विवरण	धनराशि	प्रतिशत
1	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसारनवीनीकरण मद में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके सापेक्षअनुसारनवीनीकरण मद में जमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
2	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसारसम्बद्धता शुल्क में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके सापेक्षसम्बद्धता शुल्क मेंजमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
3	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके अनुसार10% प्रतिशतमद में कुल धनराशि		
	प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्रके सापेक्ष10% प्रतिशतमदमेजमा की गई कुल धनराशि तथा प्रतिशत		
4	अवशेषों की कुल धनराशि		
5	कुलअवशेषोंके सापेक्ष जमा धनराशि तथा प्रतिशत		

विषय 5– बी०एड०/डी०एल०एड० महाविद्यालयों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन:

जनपद में कुल बी०एड०/डी०एल० महाविद्यालयों की संख्या)	जनपद में कुल आयोजित बी०एड०/डी०एल० कोर्स की संख्या)

विषय 6 – वयस्क प्रशिक्षण

1. वयस्क प्रशिक्षण बिगनर्स कोर्स, बेसिक/एडवांस कोर्स, विशेषज्ञता कोर्स के प्रतिभागिता

- बिगनर्स कोर्स :-

कोर्स की संख्या	प्रतिभागी संख्या

- जनपद में आयोजित सभी विंग में बेसिक कोर्स के आयोजन पर प्रतिभागी संख्या :-

कब मास्टर	फ्लाक लीडर	स्काउट मास्टर	गाइड कैप्टन	रोवर लीडर	रेंजर लीडर

- विशेषज्ञता कोर्स :- जनपद में आयोजित कोई 06 विषयों पर विशेष कोर्स के आयोजन का विवरण

क्रम०सं०	कोर्स का नाम	कोर्स की संख्या	प्रतिभागी संख्या
1			
2			
3			
4			
5			
6			

विषय 7 – एडवांस /एच०डब्लू०बी०/प्री ए०एल०टी०/ए०एल०टी०/एल०टी० :-

- वित्तीय वर्ष में जनपद में तैयार एच०डब्लू०बी० धारक/ ट्रेनर्सकी संख्या

एडवांस	एच०डब्लू०बी०	प्री ए०एल०टी०	ए०एल०टी०	एल०टी०

विषय 8 – वेबसाइट अपडेशन :-

- जिलासंस्था द्वारावेबसाइट और आई०टी० सम्बंधित अपडेशन की जानकारी निम्नानुसार अंकित करें

OYMS पर पंजीकृत कुल यूनिट्स की संख्या तथा प्रतिशत लक्ष्य के प्रति	जनपद द्वारा कितने दलों को UID उपलब्ध कराई गई	जनपद के वेबपेज के अपडेशन की स्थिति (हाँ या नहीं में अंकित करें) साक्ष्य संलग्न करें।	जनपद द्वारा बी०एस०जी० यू०पी० सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण एवं संगठन शिविरों की ऑनलाइन स्थिति

विषय 9 – राज्य पुरस्कार (स्काउट/गाइड, रोवर/रेंजर) :-

- वित्तीय वर्ष में जनपद में जाँच शिविर में सफलस्काउट/गाइड, रोवर रेंजर की संख्या

स्काउट	गाइड	रोवर	रेंजर

विषय 10 – राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड :-

- वित्तीय वर्ष में जनपद द्वारा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता, उपराष्ट्रपति, लक्ष्मी मजुमदार पुरस्कार के लिए पंजीकृत यूनिट की संख्या :

प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता (स्काउट)	प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता (गाइड)	उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता (रोवर)	उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता (रेन्जर)	लक्ष्मी मजुमदार पुरस्कार

विषय 11 – प्रादेशिक कार्यक्रम में प्रतिभागिता :-

- प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं०	कोर्स का नाम	प्रतिभागी संख्या
1	रि० ओरियंटेशन / रियूनियन	
2	सेमीनार/ सिपोज़ियम	
3	आफिसर्स कोर्स	

- संगठन कार्यक्रम

क्रम सं०	कोर्स का नाम	प्रतिभागी संख्या
1	डी०ओ०सी० वर्कशॉप / यूनिट लीडर संगोष्ठी में प्रतिभागिता	

बिन्दु-12—एक जनपद एक कार्यक्रम :-

परियोजना उपलब्ध कराने की तिथि	परियोजना का नाम

बिन्दु-13—बी०एस०जी० ज्ञान प्रतियोगिता

बी० एस० जी० ज्ञान प्रतियोगिता में कुल पंजीकृत प्रतिभागी	बी० एस० जी० ज्ञान परीक्षा की तिथि	प्रादेशिक मुख्यालय को प्रेषित किये गये सूची की तिथि।

बिन्दु-14 — सर्वोत्तम कैडेट रैली

सर्वोत्तम कैडिट रैली प्रतियोगिता में कुल पंजीकृत प्रतिभागी	सर्वोत्तम कैडिट रैली प्रतियोगिता की तिथि	प्रादेशिक मुख्यालय को प्रेषित किये गये सूची की तिथि।

बिन्दु-15.— चीफ कमिशनर फैलोशिप मूल्यांकन का निम्नवत आधार होगा :-

जनपद के कुल प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट उपलब्ध कराने की तिथि

विषय 16—जिला संस्था का वित्तीय प्रशासन :-

- वित्तीय वर्ष में जिलासंस्था का वित्तीय प्रशासन हेतु नियमानुसार अनुपालन की स्थिति : (हाँ या नहीं अंकित करें)

क्रम० सं०	विवरण	हाँ या नहीं	आडिट रिपोर्ट /अंशदान भेजने की दिनांक
1	जिला संस्था में नियमित आडिट हो रहा है		
2	वित्तीय वर्ष की जिला संस्था द्वारा प्रादेशिक मुख्यालय को आडिट प्रेषित की गई		
3	जिला संस्था के खाते का नियमानुसार संचालन		
4	प्रादेशिक अंशदान का जिला संस्था द्वारा समय से भुगतान		
5	वित्तीय अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव		

विषय 17- जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल / विभिन्न समितियों की बैठकें :-

- वित्तीय वर्ष में जिला संस्था द्वारा आयोजित जिला कार्यकारिणी / जिला काउन्सिल / विभिन्न समितियों की बैठकों का विवरण

क्रमांक	नाम	बैठकों की संख्या	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी संख्या	बैठक का कार्यवृत्त जारी दिनांक
1.	जिला कार्यकारिणी					
2.	जिला काउन्सिल					

क्रमांक	विवरण	हाँ या नहीं
1	जिला संस्था द्वारा जिला कार्यकारिणी एवं जिला काउन्सिल के सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्ति (नियुक्ति की दिनांक भी अंकित करें)	
2	जिला संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) सहायक जिला आयुक्त (स्काउट/गाइड) मुख्यालय आयुक्त (स्काउट/गाइड) के अधिकार पत्र निर्गत(निर्गत करने की दिनांक भी अंकित करें)	
3	जिला संस्था के अभिलेखों का नियमानुसार रखरखाव(अभिलेखों की सूची भी संलग्न करें)	
4	जिला संस्था का कार्यालय व्यवस्थित(फोटोग्राफ संलग्न करें)	

बिन्दु-18— तेजल पत्रिका में जनपद की गतिविधियों का प्रकाशन —

तेजल पत्रिका हेतु जनपद से प्रेषित की गई कुल रिपोर्ट	तेजल पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट

=====XXX=====